न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

सं. 108/2019

सीएमएस : 2019/00226

1. गुरमीत सिंह पुत्र मुखतयार सिंह माता का नाम जीतो जाति कापडिया निवासी 77 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. गुरजीत सिह पुत्र मुखतयार सिंह माता का नाम जीतो जाति कापडिया निवासी 77 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. जसविन्द्र कौर पुत्री मुखतयार सिंह माता का नाम जीतो जाति कापडिया निवासी 77 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

—:वादीगण

बनाम

1. हरप्रीत कौर पुत्र मुखतयार सिंह माता का नाम जीतो जाति कापडिया निवासी 77 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

—:प्रतिवादीगण

<u>अन्तर्गत धारा 88—92ए—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति :—

1. श्री जितेन्द्र सोनी, वकील वादीगण
2. श्री एमआर नायक, प्रतिवादी सं. 1

—: निर्णय :—

दिनांक : 31.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की माता जीतो के नाम से चक 77 एनपी के खाता सं. 12 के मु.नं. 20 प.नं. 283/329 की कुल 2.974है. बारानी व खाता सं. 13 के मु.नं. 13 प.नं. 276/329 की कुल 3.162है. नहरी, खाता सं. 60 मु.नं. 38 प.नं. 283/331 की कुल 3.162है. बारानी, खाता सं. 61 मु.नं. 35 प.नं. 280/331 की कुल 3.036है. बारानी व चक 37 पीएस के खाता सं. 26 मु.नं. 33 प.नं. 279/294 की कुल 2.974है. नहरी इस प्रकार कुल 15.308है. नहरी बारानी भूमि जीतो के नाम से थी। जो जीतो को अपने पिता हरनाम सिंह से विरास्तन प्राप्त हुई थी। जीतो की मृत्यु दिनांक 26.09.2017 को हो चुकी थी। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ही जीतो के जायज वारिसान हैं। इनके अलावा जीतो का कोई जायज वारिस नहीं हैं। जीतो के जीवनकाल व उसकी मृत्यु के उपरान्त लगातार वादीगण व प्रति. सं. 1 का संयुक्त कब्जा काश्त विवादित भूमि पर रहा हैं और आज भी हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को अपने अपने हिस्से अनुसार इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए बार बार निवेदन किया जाता रहा। प्रतिवादी सं. 1 टाल मटोल करती रही, दिनांक 02.04.2019 को गांव 77 एनपी में पंचायत कर प्रतिवादी सं. 1 को समझाया गया कि वह जीतो के सभी वारिसान को साथ लेकर इन्तकाल दर्ज करवा लेवे तो वह इन्काल दर्ज करवाने से मना कर गयी। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक का 1/4 विरास्तन हिस्सा जीतो की उक्त विवादित जमीन में बनता हैं, जिसका इन्तकाल वह अपने नाम से दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी हैं। वाद पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक का 1/4 [illegible] करने एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने व इन्तकाल दर्ज कर[illegible] किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को [illegible] किया गया। दिनांक 16.03.2020 को जवाब प्रतिवादी सं. 1 बंद किया गया। जवाब सरकार पेश [illegible]ा। पक्षकारान की ओर से 16.03.2020 को राजीनामा पेश हुआ। पक्षकारान ने राजीनामा पेश कर वादीगण एंव प्रतिवादी सं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 12:00:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

की माता जीतो के नाम दर्ज विवादित भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक 1/4 हिस्सा घोषित करवाने में सहमत हैं।

प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा होने एवं वकील उभयपक्ष के निवेदन करने पर तनकीयात कायम नहीं कर सीधे बहस सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने अपनी बहस में राजीनामा अनुसार विवादित भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा घोषित करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की माता जीतो के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं एवं जीतो की मृत्यु हो चुकी हैं। एवं प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा हो चुका हैं, तथा आपसी सहमति से अपने अपने 1/4 हिस्सा की घोषणा करवाना चाहते हैं। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर वादपत्र वादीगण राजीनामा आधार पर स्वीकार किया जाता हैं तथा विवादित भूमि चक 77 एनपी के खाता सं. 12 के मु.नं. 20 प.नं. 283/329 की कुल 2.974है. बारानी व खाता सं. 13 के मु.नं. 13 प.नं. 276/329 की कुल 3.162है. नहरी, खाता सं. 60 मु.नं. 38 प.नं. 283/331 की कुल 3.162है. बारानी, खाता सं. 61 मु.नं. 35 प.नं. 280/331 की कुल 3.036है. बारानी व चक 37 पीएस के खाता सं. 26 मु.नं. 33 प.नं. 279/294 की कुल 2.974है. नहरी भूमि में जीतो पुत्री हरनाम सिंह के हिस्सा एवं जीतो के नाम से दर्ज भूमि का वादीगण गुरमीत सिंह–गुरजीत सिंह –जसविन्द्र कौर एवं प्रतिवादी सं. 1 हरप्रीत कौर प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता हैं।

यदि भूमि बैंक के रहन दर्ज हो तो भूमि के रहनमुक्त दर्ज होने पर ही निर्णय की पालना की जावे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 31.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 12:00:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)
C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर

बईजलास : अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

सं. 108/2019
सीसीएमएस : 2019/00226

1. गुरमीत सिंह पुत्र मुखतयार सिंह माता का नाम जीतो जाति कापडिया निवासी 77 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. गुरजीत सिह पुत्र मुखतयार सिंह माता का नाम जीतो जाति कापडिया निवासी 77 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. जसविन्द्र कौर पुत्री मुखतयार सिंह माता का नाम जीतो जाति कापडिया निवासी 77 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

—:वादीगण

बनाम

1. हरप्रीत कौर पुत्र मुखतयार सिंह माता का नाम जीतो जाति कापडिया निवासी 77 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

—:प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88–92ए–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :—

दिनांक:—31.03.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री जितेन्द्र प्रसाद सोनी **अधिवक्ता वादी,** श्री एमआर नायक **प्रतिवादी सं. 1 पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री की जाती है कि:—** वादपत्र वादीगण राजीनामा आधार पर स्वीकार किया जाता हैं तथा विवादित भूमि चक 77 एनपी के खाता सं. 12 के मु.नं. 20 प.नं. 283/329 की कुल 2.974है. बारानी व खाता सं. 13 के मु.नं. 13 प.नं. 276/329 की कुल 3.162है. नहरी, खाता सं. 60 मु.नं. 38 प.नं. 283/331 की कुल 3.162है. बारानी, खाता सं. 61 मु.नं. 35 प.नं. 280/331 की कुल 3.036है. बारानी व चक 37 पीएस के खाता सं. 26 मु.नं. 33 प.नं. 279/294 की कुल 2.974है. नहरी भूमि में जीतो पुत्री हरनाम सिंह के हिस्सा एवं जीतो के नाम से दर्ज भूमि का वादीगण गुरमीत सिंह–गुरजीत सिंह –जसविन्द्र कौर एवं प्रतिवादी सं. 1 हरप्रीत कौर प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता हैं।

यदि भूमि बैंक के रहन दर्ज हो तो भूमि के रहनमुक्त दर्ज होने पर ही निर्णय की पालना की जावे।

डिक्री आज दिनांक 31.03.2021 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 12:00:28 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner